न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

(1) प्रकरण संख्या : – डिक्री 193 सन् 2015
पंजीयन दिनांक :– 27.08.2015

1. शंकरलाल पिता डालु जाति जाट निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
2. शोभालाल पिता हरिचंद जाति जाट निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

–अपीलांट्गण

विरुद्ध

1. डालचंद पिता नारायण लाल जाति जाट निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार
2. कमला पत्नि डालचंद जाति जाट निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार
3. सोहनी पत्नि नारायण लाल जाति जाट निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार
4. कैलाशसिंह पिता सुरजानसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
5. हिम्मतसिंह पिता सुरजानसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
6. विजयसिंह पिता सुरजानसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
7. ललितसिंह पिता सुरजानसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
8. पुष्पेन्द्रसिंह पिता सुरजानसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
9. छोटुसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार
10. सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार केम्प कोर्ट सुवानिया
प्रकरण संख्या 08/2013 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2015

उपस्थित :– 1. चम्पालाल जाट– अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. दिनेश चन्द दायम – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण 1 से लगायत 9
3. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 10

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़, राज.

(2) प्रकरण संख्या : - डिक्री 192 सन् 2015
पंजीयन दिनांक :- 27.08.2015

1. शंकरलाल पिता डालु जाति जाट निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
2. शोभालाल पिता हरिचंद जाति जाट निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

-अपीलांट्गण

विरूद्ध

1. डालचंद पिता नारायण लाल जाति जाट निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार
2. कमला पत्नि डालचंद जाति जाट निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार
3. सोहनी पत्नि नारायण लाल जाति जाट निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार
4. कैलाशसिंह पिता सुरजानसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
5. हिम्मतसिंह पिता सुरजानसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
6. विजयसिंह पिता सुरजानसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
7. ललितसिंह पिता सुरजानसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
8. पुष्पेन्द्रसिंह पिता सुरजानसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
9. छोटुसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
10. सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार केम्प कोर्ट सुवानिया
प्रकरण संख्या 08/2013 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2015

उपस्थित :- 1. चम्पालाल जाट- अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. दिनेश चन्द दायमा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण 1 से लगायत 9
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांकः- 24.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 10 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा भुवानीपुरा तहसील गंगरार की खाता सं. 11 मे दर्ज आराजी नम्बर 81,82 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर खाता सं. 13 मे दर्ज आराजी नम्बर 76 रकबा 0.76 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। उक्त दोनो खातो मे दर्ज कृषि आराजीयात मे प्रतिवादी सं. 3 से लगायत 7 जो कि सुरजानसिंह के वारिसान के नाम दर्ज है, उन्हे विरासत से प्राप्त है। स्वर्गीय प्रेम कंवर बेवा सुरजानसिंह का 1/6 हिस्सा कुलिया दर्ज रेकार्ड है। प्रेम बेवा सुरजानसिंह की मृत्यु हो चुकी है। खाता सं. 11 व 13 मे प्रतिवादी सं. 5 का पैतृक हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 को विक्रय कर देने से उन्हे पक्षकार प्रतिवादी कायम किया गया है। उक्त कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है, जिसका हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा कराया जावे व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण 4 से 10 व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 13.01.2014 को प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.01.2014 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 से लगायत 10 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 19.06.2014 को जवाबदावा मय विशेष कथन व आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र व विशेष कथन का रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण की ओर से दिनांक 28.11.2014 को जवाब प्रस्तुत किया गया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली विचाराधीन थी। तलबी मे पत्रावली विचाराधीन रहते हुए पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट सुवाणिया मे नियत की गई जिसमे बिना सभी पक्षकारों की सहमति के राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर पुनः उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प सुवाणिया मे नियत की जाकर बिना किसी राजीनामे के अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये।

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 2 ने इस न्यायालय मे पृथक-पृथक अपील क्रमांक 193/2015 व अपील क्रमांक 192/2015 प्रस्तुत की, जो इस न्यायालय के द्वारा पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 10 प्रतिवादी सं. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

यह कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एक ही पत्रावली मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2015 पारित की। अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2015 से असंतुष्ट होकर अलग-अलग अपीले प्रस्तुत की है। दोनो अपीलो मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एक ही होकर पक्षकार व विषय वस्तु एक ही होने से दोनो अपीलो मे एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलियो मे संलग्न रहे।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 10 प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र मे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जवाबदावा मय विशेष कथन व आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने जवाब प्रस्तुत किया व उक्त पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी मे विचाराधीन थी। इसी दरम्यान उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सुवाणिया मे नियत की जाकर बिना सभी पक्षकारो के लिखित राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, उसका निर्णय मे कोई उल्लेख नही किया गया। जवाबदावा आने पर तनकियात कायम किया जाना विधिसम्मत है। आरआरटी 2008 पार्ट-2 पेज 1135 मे भी न्याय व्यवस्था की गई है। अधीनस्थ विद्वान

चित्तौड़गढ़ (राज.)

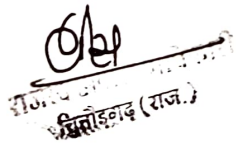

विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया गया था फिर भी तहसीलदार गंगरार के द्वारा फर्द बंटवाडा मुर्तिब नही किया जाकर पटवारी हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक से बिना पक्षकारान को सूचित किये फर्द बंटवाडा, राजस्थान काश्तकारी (रा0मं0) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया, उसी फर्द बंटवाडे पर आपत्ति व एतराज सुने बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.07.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीले स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014 पेज 256, आरआरडी 2017 पेज 610, आरआरटी 2016 पार्ट-1 पेज 87, आरआरटी 2016-17 सप्लीमेन्ट्री पेज 711 प्रस्तुत कर अपीले स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 10 व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सुवाणिया मे राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियत की गई जिसमे पक्षकारान ने उपस्थित होकर बंटवाड़ा बाबत सहमति प्रकट करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे के मध्यनजर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार गंगरार को फर्द बंटवाडा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार गंगरार द्वारा राजस्थान काश्तकारी (रा0मं0) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् राज्य सरकार के निर्देशानुसार फॉलोअप कैम्प सुवाणिया में पत्रावली नियत की गई। फर्द बंटवाडा हक व हिस्से अनुसार सभी सह खातेदारो को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी कृषि आराजीयात देते हुये नियमानुसार सही होना मानते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2015 विधिसम्मत होने से अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 10 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2015 को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 10 के विरूद्ध बंटवाडे व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 10 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से जवाबदावा मय विशेष कथन व आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका रेस्पोडेन्ट्गण सं. 1 से 3 वादीगण ने जवाब आपति प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली के विपक्षीगण की तलबी में नीयत रहते हुए अपरिपक्व अवस्था में बिना प्रतिवादीगण को सूचना पत्र तामिल कराये व बिना तनकियात कायम किये राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर पत्रावली मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये है जिसमें व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना नही की गई है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर सभी पक्षकारों के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर नही है। अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम को निर्णित नहीं किया गया है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे तहसीलदार ने अधीनस्थ कर्मचारियो से फर्द बंटवाडा तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जिस पर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को आपति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये वगैर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये है जिससे अपीलान्ट्गण की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 193/2015 व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 192/2015 स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 193/2015 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 192/2015 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार के प्रकरण सं. 08/2013 में

चित्तौड़गढ़ (राज.)

पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2015 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकियात कायम की जाकर उक्त तनकियात पर उभयपक्षों की साक्ष्य ली जाकर तनकिवार अजसरे आदेश 20 नियम 5 जाब्ता दिवानी की पालना करते हुए नवनिर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में दिनांक 13.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्य प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)